


संपत्रावली विनांक: ५२५ का पत्रावली।
श्री का अधिष्ठा यथावत रहे।

14.8.24

पत्रावली पेश हुई - वकील प्रार्थोगण अनुपस्थित
प्रार्थोगण एवं प्रार्थोगण के अधिवक्ता को कितनी
बार रोक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के
बिना भी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थोगण के अनुपस्थित
रहने से प्रार्थोगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी।
अदम पैरवी में खरीज किया जाता है। दिनांक
5.9.23 को जारी अखबार निषेधाज्ञा खरीज की
जाती है। पत्रावली फैसला सुमार होकर मम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

